

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज,
अपील संख्या 44/2024
बअनवान श्यामसिंह वगैरा बनाम अनोपसिंह वगै.

नम्बर व तारीख
अहकाम
जो इस हुक्म की
तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई ए एस

आदेश

दिनांक 10.07.2025

उपस्थिति

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री हाकूमसिंह भाटी
2. रेस्पोंडेंटस की तरफ से श्री महेन्द्र कुमार रामावत।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दर्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण को रेस्पोंडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काशत में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वकार फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2022(2) Page 807


RRT 2022-23(Supp) Page 176

रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। दस्तावेजात सही है या नहीं यह दावे में तय होंगे। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कही भी स्पष्ट नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का संतुलन रेस्पोंडेंटस के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना-पत्र में पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


10/12/2019
(नवनीत कुमारगार)
राजस्व अपील प्रतिकारिका
बाड़मेर बाड़मेर